No.7(27)/E.III/84
GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Finance
(Department of Expenditure)

New Delhi, the 21st August, 1984.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Fixation of pay on promotion from the revised Junior Group 'A' to the Senior Group 'A' scale of pay in certain organised Group 'A' Services.

The undersigned is directed to refer to the Ministry of Finance O.M.No.F.12/21/74-IC dated the 14th November, 1975, on the above subject, and to say that according to para 2(II) of that O.M., the first increment in the revised senior scale (Rs.1100-1600) is to be granted on the anniversary of the date of promotion to the senior scale falling after completion of the sixth stage in the revised junior scale or the sixth year of service, as the case may be. It has been brought to the notice of this Department that in cases where promotion to the senior scale is made on a regular basis prior to completing four years of service in the junior scale, the said provision relating to the grant of first increment in the senior scale has adversely affected the officers concerned inasmuch as even after completing the sixt year of service in the junior scale, they have to wait further for becoming eligible to the first increment in the senior scale.

2. The matter has been carefully considered and the President is pleased to decide, in modification of the provisions for grant of first increment in the revised senior scale as contained in the aforesaid O.M. dated 14-11-1975, that in cases where an officer is promoted to senior scale on a regular basis prior to completion of the fourth year of service in the junior scale, the first increment in the senior scale may be given on the date following the date of completion of the sixth year of service in the junior scale, as illustrated below:-

(i) Date of appointment to Junior scale	5-8-1975
(ii) Rate of pay on appointment to Junior scale.	Rs.700/-
(iii) Date of regular promotion to Senior scale.	21-4-1979
(iv) Pay on promotion to Senior scale.	
(a) 21-4-1979 to 4-8-1979	Rs.820/- Pay + Rs.150/- Spl. Pay.

..........2/-

from pre-page

	(b) 5-8-1979 (date of completion of 4 years service)	Rs.1100/- (Minimum of Senior Scale)
(v)	Date of completion of sixth year of service in junior scale	4-8-1981
(vi)	Date of 1st increment in the Senior scale.	5-8-1981
(vii)	Next increment in the Senior scale will fall due on	1-8-1982

3. These orders take effect retrospectively w.e.f. 1-1-73 on notional basis with actual benefit from 1-8-1984.

4. In so far as persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

R.C.Puri

(R.C.Puri)
Deputy Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments of Government of India

No.7(27)/E.III/84 Dated the 21st August, 1984.

Copy forwarded to:-

1. C&AG of India, New Delhi, with reference to their U.O.No. 592-Audit/35-82 dated 19th July 1984.
2. UPSC New Delhi.
3. Election Commission, New Delhi.
4. Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.
5. Supreme Court of India, New Delhi.
6. All State Governments and Union Territory Administrations.
7. Central Vigilance Commission, New Delhi.
8. Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, New Delhi.
9. Ministry of Defence (Finance Division) New Delhi.
10. Railway Board, New Delhi.
11. President's Secretariat/Vice-President's Secretariat/Prime Minister's Office/Cabinet Secretariat.
12. Office of the Military Secretary to the President.
13. Planning Commission, New Delhi.
14. Secretary, Staff side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.

........3/-

from pre-page

15. All Members of the Staff side of the National Council of JCM.
16. All India Services Division, Department of Personnel and A.R.
17. All Integrated Financial Advisers of Administrative Ministries.
18. Controller of Accounts/Pay and Accounts Officers of All Ministries/Departments.
19. Controller General of Accounts, Ministry of Finance.
20. All Offices/Branches in the Department of Expenditure.
21. Pay and Accounts Officers, Lok Sabha/Rajya Sabha Sectt.
22. Department of Personnel and AR (Estt.P-I/P-II)

R C Puri

(R.C.Puri)
Deputy Secretary to the Government of India

'rps'

संख्या 7(27)-संस्था. III/84
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक: 21 अगस्त, 1984

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- कुछ संगठित समूह "क" सेवाओं में संशोधित कनिष्ठ समूह "क" से वरिष्ठ समूह "क" वेतनमान में पदोन्नति होने पर वेतन नियत किया जाना।

मुझे उपर्युक्त विषय पर वित्त मंत्रालय के दिनांक 14 नवम्बर, 1975 के का. ज्ञा. सं. एफ. 12/21/74 आई. सी. का हवाला देते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि उस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2(ii) के अनुसार, संशोधित वरिष्ठ वेतनमान (1100-1600 रु0) में पहली वेतन वृद्धि संशोधित कनिष्ठ वेतनमान में छठा स्तर या सेवा के छठा वर्ष, जैसा भी मामला हो, पूरा हो जाने पर वरिष्ठ वेतनमान में पड़ने वाली पदोन्नति की तारीख की वर्षगांठ पर मंजूर की जानी है। इस विभाग के ध्यान में यह लाया गया है कि उन मामलों में, जहाँ कनिष्ठ वेतनमान में सेवा के चार वर्ष पूरे होने से पहले नियमित आधार पर वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति कर दी जाती है, वरिष्ठ वेतनमान में पहली वेतन वृद्धि की मंजूरी से सम्बंधित इस उक्त प्रावधान ने सम्बन्धित अधिकारियों को प्रतिकूल रूप में प्रभावित किया है और यहाँ तक कि कनिष्ठ वेतनमान में सेवा का छठा वर्ष पूरा कर लेने पर भी उन्हें वरिष्ठ वेतनमान में पहली वेतन वृद्धि का पात्र बनने के लिए और अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

2. इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और दिनांक 14.11.1975 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए हुए संशोधित वरिष्ठ वेतनमान में पहली वेतनवृद्धि की मंजूरी के प्रावधानों का संशोधन करते हुए राष्ट्रपति जी ने निर्णय किया है कि उन मामलों में जहाँ किसी अधिकारी को कनिष्ठ वेतनमान में सेवा का चौथा वर्ष पूरा होने से पहले ही नियमित आधार पर वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नत कर दिया जाता है, वरिष्ठ वेतनमान में पहली वेतन वृद्धि कनिष्ठ वेतनमान में सेवा का छठा वर्ष पूरा होने की तारीख के बाद की तारीख को दी जाए, जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है :-

(1) कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति की तारीख 5.8.1975

(2) कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति पर वेतन की दर . . . . 700/-रु0

(3) वरिष्ठ वेतनमान में नियमित पदोन्नति की तारीख 21.4.1979

(4) वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन . . . .

(क) 21.4.1979 से 4.8.1979 . . . . 820/-रु0 वेतन और 150/-रु0 विशेष वेतन

. . . . 2/-

(ख) 5.8.1979 (4 वर्ष की सेवा पूरी करने की तारीख) . . . . 1100/-रु0 (वरिष्ठ वेतनमान का न्यूनतम)

(5) कनिष्ठ वेतनमान में सेवा का छठा वर्ष पूरा करने की तारीख 4.8.1981

(6) वरिष्ठ वेतनमान में पहली वेतन वृद्धि की तारीख 5.8.1981

(7) वरिष्ठ वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1.8.1982

3. ये आदेश काल्पनिक आधार पर पीछे की तारीख से 1.1.1973 से लागू माने जाएँगे किन्तु इन का वास्तविक लाभ 1.8.1984 से देय होगा ।

4. जहाँ तक भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों का सम्बन्ध है ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करने के बाद जारी किए गए हैं।

र० चं० पुरी

(आर. सी. पुरी)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि-आदि ।

सं0 7(27)/संस्था.III/84, दिनांक 21- अगस्त, 1984

7. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
8. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ।
9. रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग), नई दिल्ली ।
10. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
11. राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री का कार्यालय/ मंत्रिमंडल सचिवालय ।
12. राष्ट्रपति के सैनिक सचिव का कार्यालय ।
13. योजना आयोग, नई दिल्ली ।
14. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13 सी फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली।
15. संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
16. अखिल भारतीय सेवा प्रभाग, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ।
17. प्रशासनिक मंत्रालयों के सभी एकीकृत वित्तीय सलाहकार ।
18. लेखा नियंत्रक/सभी मंत्रालयों/ विभागों के वेतन तथा लेखा अधिकारी ।
19. महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
20. वित्त विभाग में सभी कार्यालय/शाखायें ।
21. वेतन तथा लेखा अधिकारी लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय ।
22. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (संस्था. पी-I/पी-II)

र० च० पुरी

(आर. सी. पुरी)
उपसचिव, भारत सरकार